पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मई, 2010 ई0 (बैशाख 11, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–18

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	111–122	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	69	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975,
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

(शक्ति)

29 मार्च, 2010 ई0

संख्या 505/XX(2)/109/परीक्षा–टी0सी0/2002–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राज्यपाल, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा संचालित वर्ष 2010 की स्नात्तक/परास्नात्तक की परीक्षाओं के लिए उत्तराखण्ड के जनपद–नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत के सभी परीक्षा केन्द्रों के वरिष्ठ परीक्षा केन्द्राध्यक्षों को दिनांक 29 मार्च, 2010 से 20 मई, 2010 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलायेंगे और उन्हें ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं, जिनका वे उन परीक्षा केन्द्रों की सीमा के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपयोग कर सकेंगे, जिनके वे केन्द्र व्यवस्थापक हैं।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

08 अप्रैल, 2010 ई0

संख्या 345/तीस–1–2010–25(36)/2006(v-ii)–उत्तराखण्ड प्रदेश सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा में साधारण श्रेणी वेतनमान में प्रोन्नति कोटे की वर्ष 2007–08 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा नियमित चयन के आधार पर राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखते हैं :–

क्र0सं0	नाम	
01	सर्व श्री जगदीश लाल	(सा0/अनु0 जाति)
02	" अजय अरोड़ा	
03	" राम दत्त पालीवाल	
04	" नारायण सिंह डांगी	(सा0/अ0ज0 जाति)
05	" सुरेन्द्र सिंह जंगपांगी	(सा0/अ0ज0 जाति)
06	" मनोज कुमार	
07	" हिमालय सिंह	(सा0/अ0ज0 जाति)
08	" बीर सिंह	(सा0/अ0ज0 जाति)
09	" त्रिलोक सिंह	(सा0/अ0ज0 जाति)
10	" दीपेन्द्र सिंह	(सा0/अ0ज0 जाति)
11	" चन्द्र सिंह–1	(सा0/अ0ज0 जाति)
12	" सुन्दरलाल सेमवाल	(सा0/अ0ज0 जाति)
13	" मोहन सिंह	(सा0/अ0ज0 जाति)
14	" गिरीश चन्द्र गुणवंत	
15	" अशोक कुमार जोशी	

2–उक्त अधिकारियों की उक्त सेवा में नियुक्ति किए गए तथा किए जाने वाले अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज्येष्ठता उत्तरांचल सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 2005 एवं उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / स्थायीकरण

16 अप्रैल, 2010

संख्या–54 / XX(1) / 138 / पी0पी0एस0 / स्थायीकरण / 2010–अधोहस्तक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली–2009" के नियम 25 के अनुसार निम्न परिशिष्ट में उल्लिखित पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट

शासनादेश

संख्या–54 / XX(1) / 138 / पी0पी0एस0 / स्थायीकरण / 2010
देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2010

क्र0सं0	नाम अधिकारी	स्थायीकरण किये जाने की तिथि
1	सर्व श्री अजय सिंह	18–07–2007
2	" पंकज भट्ट	18–07–2007
3	" नवनीत सिंह	18–07–2007
4	" मणिकान्त मिश्र	18–07–2007
5	" अमित श्रीवास्तव–II	19–07–2007
6	" श्वेता चौबे	18–07–2007
7	" अमित श्रीवास्तव–I	18–07–2007
8	" देवेन्द्र पींचा	18–07–2007
9	" प्रदीप कुमार राय	29–07–2007
10	" प्रमेन्द्र सिंह डोबाल	18–07–2007
11	" कमलेश उपाध्याय	18–07–2007
12	" ममता वोहरा	13–10–2007
13	" सरिता डोबाल	18–07–2007
14	" हरीश वर्मा	18–07–2007
15	" सुरजीत सिंह पंवार	18–07–2007
16	" शाहजहां अन्सारी	18–07–2007
17	" जगदीश चन्द्र	02–08–2007
18	" प्रमोद कुमार	01–12–2007
19	" प्रकाश चन्द्र आर्य	20–07–2007
20	" अरुणा भारती	18–07–2007

आज्ञा से,

दीपम सेठ,
अपर सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–03

कार्यालय–ज्ञाप

20 अप्रैल, 2010

संख्या–201–29/XVII(1)–3/10–07(66)/08–एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–81/XVII–3/10–07 (66)/2008, दिनांक 27 जनवरी, 2010 द्वारा पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय तथा जनपद स्तरीय समिति में निम्नानुसार संसद सदस्यों को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राज्य स्तरीय समिति–

(क)	श्री के0सी0 सिंह बाबा	–	सांसद, लोक सभा।
(ख)	श्री प्रदीप टम्टा	–	सांसद, लोक सभा।
(ग)	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	–	सांसद, राज्य सभा।

जनपद स्तरीय समिति–

(क)	श्री सतीश कुमार शर्मा (जनपद ऊधमसिंह नगर)	–	सांसद, राज्य सभा।
(ख)	श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (जनपद हरिद्वार)	–	सांसद, राज्य सभा।

आज्ञा से,

एस0 के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव।

भाषा अनुभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 फरवरी, 2010

संख्या 33/XXXIX–मा0अनु0–20(सा)/2009–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 345 और 351 तथा आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009 की निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली, 2009

1–परिभाषाएं–

1–इस संस्थान का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड भाषा संस्थान" है। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश होगा।

2–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड भाषा संस्थान नियमावली 2009" है।

(ख) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

3–संस्थान का पंजीकृत कार्यालय जनपद देहरादून में होगा।

4–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) "संस्थान" से उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार या राज्य सरकार तथा शासन" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) "अर्द्धसरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन का प्रतिनिधि हो किन्तु जो पदेन सरकारी सदस्य न हो;

(घ) "गैर सरकारी सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी पदेन या सदस्य न हो;

(ड) "साधारण सभा" से संस्थान की साधारण सभा अभिप्रेत है;

(च) "अध्यक्ष" से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "उपाध्यक्ष" से संस्थान का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है, जो संस्थान का सदस्य सचिव भी होगा; और

(झ) "अधिनियम" से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 अभिप्रेत है।

2–संस्थान के उद्देश्य–

(1) उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, उत्तराखण्ड शासन की कार्यदायी संस्था के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में कार्य करेगा और भाषा सम्बन्धी योजनाओं एव क्रिया–कलापों का संचालन करेगा। आवश्यकतानुसार यह संस्थान उत्तराखण्ड शासन के लिए राज्य के हित में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों और संघीय राज्यों में भी भाषा सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेगा।

(2) मुख्यतः इन्जीनियरिंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित हिन्दी शब्दकोष, पाठ्य–पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का तथा इनके अतिरिक्त तकनीकी प्रशासनिक प्रबन्धकीय हिन्दी शब्दकोष एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य–पुस्तकों एवं पत्रिकाओं/निर्णय पत्रिकाओं का हिन्दी में लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन। साहित्यिक/शोध पत्रिका का प्रकाशन करना।

(3) इस संस्थान में राज्य की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का कार्य किया जायेगा। क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण की व्यवस्था करना तथा उनके साहित्य को प्रोत्साहन देना।

(4) राज्य के साहित्यकारों के दुर्लभ साहित्य, अप्राप्त साहित्यक, उत्कृष्ट और उपयोगी साहित्य, शोध ग्रन्थों का पुनः प्रकाशन किया जाना। अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का प्रकाशन करना अथवा प्रकाशन में सहायता देना।

(5) उत्तराखण्ड राज्य की ऐसी संस्थाएं जो प्राचीन भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहित करने की निःस्वार्थ सेवा में लगी हों, उन्हें हिन्दी भाषा में अनुवाद/प्रकाशन में अनुदान देकर या उनके साहित्य को क्रय एवं विपणन कर सहायता प्रदान करना।

(6) राज्य सरकार की भाषा प्रोत्साहन नीति के अनुसरण में प्रचार–प्रसार के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित करना और हिन्दी टंकण और आशुलिपि की प्रतियोगिताएं आयोजित करना और सफल प्रतियोगियों के लिए समुचित पुरस्कार की व्यवस्था करना।

(7) उत्तराखण्ड के विभिन्न अंचलों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के सम्मेलनों, समारोहों एवं गोष्ठियों को आयोजित करना।

(8) यह संस्थान विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। भाषा विशेष के छात्रों को संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य विदेशी भाषाओं के व्याकरण, साहित्य–साहित्यिक कालविशेष, साहित्य विशेष, ग्रन्थविशेष के अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा। संस्थान छात्रों के अध्ययन के लिए पृथक–पृथक अध्ययन केन्द्र भी स्थापित कर सकता है। अध्ययन की अवधि एक माह से लेकर तीन वर्ष तक की होगी और अध्ययन केन्द्रों की स्थापना राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त विश्व के विभिन्न देशों के छात्र वर्तमान में संस्कृत एवं हिन्दी के अध्ययन की ओर विशेष रूचि ले रहे हैं। अतः संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन केन्द्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न करना।

(9) भारत एवं विश्व के विभिन्न देशों, प्रदेशों के साहित्यकारों की विभिन्न देशों एवं प्रदेशों में सद्भावना यात्रा आयोजित करना।

(10) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य एवं कृत्यों को सुरक्षित करना एवं इन भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित, समादृत और पुरस्कृत करना तथा गोष्ठियां, सम्मेलन व समारोह आयोजित करना।

(11) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं साहित्य की प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(12) दुर्लभ पुस्तकों को निःशुल्क, दान अथवा मूल्य देकर प्राप्त करना, शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों की छाया प्रतियां मूल्य लेकर उपलब्ध कराना एवं दुर्लभ पुस्तकों की पुनःप्रकाशन की व्यवस्था करना।

(13) राज्य एवं देश की विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन करना, उनकी कार्य विशेष एवं स्थान विशेष की समानताओं/असमानताओं के आधार पर पाण्डुलिपियों एवं ताम्रपत्रों, भोजपत्रों आदि का अन्य भाषाओं में अनुवाद कराना।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का प्रचार-प्रसार तथा अध्ययन/अध्यापन।

(15) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली का मानकीकरण करवाना।

(16) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शब्दकोष निर्माण एवं प्रकाशन करवाना।

(17) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली में रचित साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की व्यवस्था करना।

(18) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के शिक्षण के लिए सरल पाठ्यक्रम तैयार करना एवं शिक्षण की व्यवस्था करना।

(19) विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के साहित्य का विश्वस्तरीय पुस्तकालय का निर्माण करना।

(20) क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के अलिखित साहित्य का यांत्रिक विधियों द्वारा संकलन करना एवं उसे प्रचारित करना।

(21) ऐसे सभी अन्य प्रासंगिक कार्य करना जिनसे उपरिनिर्दिष्ट उद्देश्यों तथा कार्यकलापों को गतिशील करने में सहायता प्राप्त हो।

3-संस्थान के अंग-

(क) साधारण सभा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जिनके नाम पते और व्यवसाय निम्नांकित हैं :-

साधारण सभा

1-अध्यक्ष	मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2-उपाध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत महानुभाव
3-सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
4-सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5-सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6-सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
7-सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
8-सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तराखण्ड के किन्हीं दो (02) विश्वविद्यालयों के कुलपति
9-सदस्य	निदेशक/सचिव, संस्कृति विभाग
10-सदस्य	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11-सदस्य	राज्य सरकार द्वारा नामित देश एवं प्रदेश के भाषाविद् छः (06) सदस्य

12–सदस्य	सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
13–सदस्य	सचिव, उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
14–वरिष्ठ लेखाधिकारी	उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
15–सदस्य सचिव	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति का गठन–

जैसा कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 2 के अधीन अपेक्षित है कि संस्थान से संबंधित कार्यों की व्यवस्था हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करने वाले व्यक्तियों के नाम पते व व्यवसाय निम्न प्रकार हैं :–

1–अध्यक्ष	मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, उत्तराखण्ड
2–कार्यकारी अध्यक्ष	सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन
4–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
5–सदस्य	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
6–सदस्य	उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी
7–सदस्य	उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
8–सदस्य	उत्तराखण्ड शासन द्वारा नामित भाषाविदों में से तीन (03)
9–सदस्य	वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान
10–सदस्य सचिव	निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान।

4–सदस्यता, सदस्यों का कार्यकाल–

(1) इस संस्थान के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अर्द्धसरकारी या गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने का अधिकार समुचित रूप से सुनवाई के पश्चात् राज्य सरकार में निहित होगा।

(2) संस्थान अथवा उसकी प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी भी समिति के पदेन सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी सदस्यों की सदस्यता उसके नियत कार्यकाल की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जायेगी और उस प्रद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य हो जायेंगे।

(3) साधारण सभा, प्रबन्धकारिणी समिति अथवा उसकी किसी समिति के किसी पदेन सदस्य के स्थान पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा किसी भी समय समुचित रूप से सुनवाई के पश्चात् प्रतिस्थानी को नियुक्त किया जा सकता है तथा ऐसी नियुक्ति पर अवमुक्त सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थानी सदस्य स्थान ग्रहण करेगा।

(4) गैर सरकारी सदस्यों की दशा में उनकी सदस्यता का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा, जो व्यक्ति किसी संगठन के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होगा, उस संगठन द्वारा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिये जाने पर वह सदस्य नहीं रहेगा।

(5) संस्थान का कोई भी सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्यागपत्र दे, विकृत मस्तिष्क का हो जाये, दिवालिया घोषित कर दिया जाय अथवा नैतिक पतन सम्बन्धी दण्डापराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ हो।

(6) यदि कोई सदस्य संस्थान की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहे तो वह संस्थान के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, जो स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(7) किसी रिक्ति में मनोनीत व्यक्ति सदस्यता के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही पदधारण करेगा।

(8) संस्थान तथा इसकी प्रबन्धकारिणी समिति अपना कार्य करती रहेगी, भले ही उसके किसी अंग में कोई रिक्ति हो और भले ही उसके किसी सदस्य की नियुक्ति अथवा नाम के मनोनीत करने में कोई चूक या विलम्ब या त्रुटि हो।

5–अध्यक्ष और उपाध्यक्ष–

(1) उत्तराखण्ड प्रदेश के मुख्यमंत्री/भाषा मंत्री, संस्थान के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(2) उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कृत्यों का निष्पादन करेंगे और उनके अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष अपना लिखित त्याग–पत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं, जो अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

(5) उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा उस पद पर पुनः मनोनयन किया जायेगा।

6–निदेशक–

प्रबन्धकारिणी तथा साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान में एक वैतनिक निदेशक की नियुक्ति उत्तराखण्ड सरकार, उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय महाविद्यालय के उपाचार्य/आचार्य/भाषाविद्/उच्चकोटि के विद्वान/सचिवालय सेवा का अधिकारी, जो अपर सचिव के स्तर से कम न हो, की तैनाती प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी। सीधी भर्ती की नियमावली तत्समय पृथक से प्रख्यापित की जायेगी। निदेशक उपाध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेगा। निदेशक, संस्थान, साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा। निदेशक का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

7–निदेशक के कार्य–

निदेशक के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं ऐसे सामान्य और विशेष अनुदेश जिन्हें साधारण सभा/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विहित किया जायेगा, उनका अनुपालन अनिवार्य रूप से निदेशक द्वारा किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त निदेशक, संस्थान, भाषा विभाग उत्तराखण्ड शासन के अधिकारियों के आदेशों को अनुपालन करते हुए कार्य करेगा। निदेशक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

(1) संस्थान के प्रशासन का सामान्य नियंत्रण,

(2) प्रबन्धकारिणी समिति और साधारण सभा की बैठकें आहूत करेगा,

(3) संस्थान की ओर से समस्त धनराशि और प्रतिभूतियों को प्राप्त करना और संस्थान के धन और अन्य सम्पत्तियों की समुचित रख–रखाव और अभिरक्षा की व्यवस्था करना।

(4) संस्थान की ओर से वचन–पत्रों, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को पृष्ठांकित और हस्तान्तरित करना और चेकों तथा अन्य पराक्राम्य लिखित, (निगोशिऐबिल इन्स्ट्रूमेंन्ट्स) पृष्ठांकित और प्ररिक्रमित करेगा।

(5) निदेशक, संस्थान के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के सामान्य संचालन, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) निदेशक, सभी जमा प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करेगा और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्थान का खाता खोलेगा।

(7) निदेशक, संस्थान के पक्ष में सभी बन्ध–पत्रों और अनुबन्ध–पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) संस्थान के कर्मचारियों व अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करना।

(9) संस्थान द्वारा या संस्थान के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित करना, संचालित करना, प्रतिवाद करना या संस्थान द्वारा या संस्थान के विरुद्ध किसी दावा या मांग के भुगतान या समाधान के लिए निपटारा भी करना और समय की अनुमति देना।

(10) संस्थान के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों को समस्त या कोई शक्ति, प्राधिकार और निर्देशन, जो उसमें निहित हो, को अन्तिम नियंत्रण और प्राधिकार अपने पास रखते हुए, प्रत्यायोजित करना।

(11) संस्थान और उसकी बैठकों के कार्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेख, लेखा और पंजी का रख–रखाव।

(12) संस्थान के कार्यहित में निदेशक संस्थान के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को जिस अवधि के लिए उपयुक्त समझे, उपरिलिखित स्तम्भ (एक) से (ग्यारह) तक की शक्तियों का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से प्रतिनिधायन कर सकते हैं।

(13) संस्थान के हित में संस्थान का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी/कर्मचारी, निदेशक द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कृत्यों और दायित्वों का सम्पादन करेगा।

8–वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति एवं कार्य–

राज्य सरकार द्वारा वित्त एवं लेखा सेवा के एक ऐसे वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो संस्थान के समुचित लेखा तथा अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उत्तरदायी होगा। यह लेखे का वार्षिक विवरण सन्तुलन–पत्र (बैलेन्स शीट) तथा अन्य वित्त सम्बन्धी कार्य करेगा। लेखाधिकारी संस्थान के नियमों का पालन करेगा। निदेशक, प्रबन्धकारिणी समिति के व्यय संबंधी निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।

9–भाषा संस्थान के विभाग–

(क) प्रशासन विभाग,

(ख) प्रकाशन विभाग,

(ग) अनुसंधान विभाग,

(घ) पुस्तकालय।

(क) प्रशासन विभाग–

निदेशक के निर्देशन में यह विभाग संस्थान के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करेगा। सभी विभागों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा एवं समस्त कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रकाशन विभाग–

अनुसंधान विभाग द्वारा निर्मित सामग्री के प्रकाशन, संग्रहण तथा विपणन की व्यवस्था करेगा।

(ग) अनुसंधान विभाग–

संस्थान की सभी शोध योजनाओं, शोध संगोष्ठियों की व्यवस्था अनुसंधान विभाग द्वारा की जायेगी। शोध योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समितियों के सदस्यों का नाम निर्धारण, अनुदान की राशि का निर्धारण इस समिति के द्वारा किया जायेगा।

(घ) पुस्तकालय :–

संस्थान का एक विश्वस्तरीय पुस्तकालय समस्त आधुनिक उपकरणों से युक्त होगा। जिसमें प्रकाशन की सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी। देश एवं प्रदेश के सभी साहित्यकारों के साहित्य, शोधग्रन्थ, इतिहास, आलोचनात्मक ग्रन्थ आदि पुस्तकालय में रखे जायेंगे।

10–विभागों का प्रबन्ध–

(1) संस्थान का निदेशक चारों विभागों के कार्यों की देख–रेख करेगा।

(2) चारों विभागों के लिए एक वैतनिक उपनिदेशक होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(3) उक्त चारों विभाग, संस्थान की प्रबन्धकारिणी समिति के मार्ग निर्देशन के अनुसार कार्य करेंगे।

(4) उपाध्यक्ष जो प्रबन्धकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा, इन चारों विभागों का भी अध्यक्ष होगा।

(5) यदि आवश्यक हुआ तो उपाध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से ऐसी उप समितियां गठित कर सकता है, जो उक्त प्रभागों के कार्य के लिए उपयोगी हो। संस्थान का उपाध्यक्ष ही उक्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

11–साधारण सभा की बैठक–

संस्थान के कार्य सम्पादन के लिए वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण सभा की होगी जिसकी गणपूर्ति दो–तिहाई होगी, जिसमें संस्थान का बजट प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् प्रस्तुत और पारित किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु दो–तिहाई की संख्या आवश्यक होगी। बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व देनी आवश्यक होगी। आकस्मिक बैठक अल्पकालिक समय में आहूत की जा सकेगी।

12–साधारण सभा के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये गये वार्षिक आय–व्यय को पारित करना।

(2) संस्थान के कार्य तथा प्रशासन संचालन के लिए नियम बनाना, उन्हें अंगीकृत करना एवं समयानुसार उनमें परिवर्तन करना।

(3) संस्थान के लेखों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सम्परीक्षकों द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करना।

(4) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विचार करना तथा स्वीकृत करना।

(5) संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों में अभिवृद्धि हेतु, यदि कोई अन्य विषय प्रस्तुत हो, तो उक्त पर विचार करना एवं स्वीकृत करना।

(6) अन्य किसी भी कार्य पर विचार करना जिससे संस्थान के कर्तव्यों एवं उद्देश्य की पूर्ति हो।

13–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता उनके संस्थान के सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(स) कोई भी सदस्य यदि अपना पदत्याग करना चाहे, तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है, जो उसकी स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

(द) प्रबन्धकारिणी समिति किसी रिक्ति के होते हुए भी अथवा सदस्य मनोनीत किए जाने में हुई कोई त्रुटि होने पर भी अपना कार्य करती रहेगी।

(य) प्रबन्धकारिणी समिति की तीन माह में एक बार बैठक होगी। आवश्यकता होने पर एक सप्ताह के नोटिस पर तत्काल बैठक आहूत की जा सकती है।

(र) इस नियम में पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी उत्तराखण्ड शासन, अपने विवेक पर प्रबन्धकारिणी समिति का पुनर्गठन कर सकता है।

14–प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व–

(1) साधारण सभा के नियंत्रणाधीन संस्थान के सम्पूर्ण कार्यों के कार्यान्वयन की प्राधिकारी।

(2) संस्थान एवं उसके कार्यालय के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी।

(3) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान का कार्यक्रम एवं योजना तैयार करना।

(4) साधारण सभा के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों को तैयार करना।

(5) संस्थान के कार्य संचालन हेतु शासन से ऐसे पदों का सृजन कराना, जिनकी आवश्यकता हो तथा उन पर नियुक्ति आदि की शर्तें निर्धारित करना।

(6) संस्थान के कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों हेतु नियमावली का गठन करना।

(7) अन्य समस्त ऐसे कार्य करना, जो संस्थान के उद्देश्यों एवं कर्तव्यों की पूर्ति में सहायक हों या संस्थान द्वारा सौंपे जायें।

(8) अपने कार्य संचालन और प्रशासन के लिए समय–समय पर नियम बनाना, इनका अनुपालन करना, उनमें परिवर्तन करना।

(9) संस्थान के लिए निधि प्राप्त करना, उसे रखना, उसमें वृद्धि करना तथा संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना।

(10) संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त धन का एक रिवॉल्विंग फण्ड बैंक में रखना तथा उसका समुचित उपयोग करना।

(11) संस्था के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को क्रय करना, विनियम में लेना, किराये पर लेना अथवा अर्जित करना या उसका निस्तारण करना अथवा सम्पत्ति को दान स्वरूप प्राप्त करना तथा कार्योपरान्त इसकी सूचना राज्य सरकार को देना।

(12) सामान्यतः या किसी तदर्थ प्रयोजन के लिए संस्थान के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक या अधिक समिति या उप–समितियों का गठन करना।

15–लेखा सम्परीक्षण–

संस्थान के लेखों की सम्परीक्षा राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किये गये लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

16–आय एवं सम्पत्ति–

संस्थान की आय तथा सम्पत्ति के किसी भाग का भुगतान या हस्तान्तरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो किसी समय में संस्थान के सदस्य हों या रहे हों अथवा उनमें से किसी भी व्यक्ति को लाभांश बोनस के रूप में या अन्यथा और भी इसी प्रकार से लाभ के रूप में नहीं लिया जायेगा। संस्थान की आय उसी के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय की जायेगी।

17–संलेखों का निष्पादन–

संलेखों का निष्पादन, संस्थान से सम्बन्धित सभी संविदायें तथा अन्य विलेख संस्थान के नाम से किये गये समझे जायेंगे और संस्थान की ओर से उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

18–विघटन–

संस्थान का विघटन होने पर यदि उसके ऋणों तथा दायित्वों का परिशोधन करने के पश्चात् कोई सम्पत्ति शेष रह जाये तो संस्थान के किसी सदस्य को उसका भुगतान नहीं किया जायेगा, अपितु राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ढंग से उसका निस्तारण किया जायेगा।

19–सदस्यों को मानदेय एवं यात्रा–भत्ता–

संस्थान कार्यकारिणी समिति अथवा संस्थान या कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति के सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारी अथवा परिनियत निकायों के सदस्य या कार्यकर्ता हों, संस्थान अथवा प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों की बैठकों में उपस्थित होने अथवा संस्थान या प्रबन्धकारिणी समिति

के कार्य के निमित्त की गई यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रिक तथा दैनिक भत्तों के लिए अपनी सम्बन्धित सरकार या परिनियत निकाय के नियमों से नियंत्रित होंगे। जहां तक उल्लिखित सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उन्हें उत्तराखण्ड सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को देय दरों के अनुसार यात्रिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा। संस्थान/प्रबन्धकारिणी समिति या समितियों के सदस्यों को कोई अन्य पारिश्रमिक देय न होगा।

20–संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमे–

संस्थान की ओर से अथवा उसके विरुद्ध मुकदमे संस्थान के निदेशक के नाम से संस्थित किए जायेंगे।

21–नियमावली में संशोधन–

इस नियमावली में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने विवेक पर अथवा उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुए यथोचित नोटिस देने के उपरान्त उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में किया जा सकता है। इस हेतु दो तिहाई बहुमत आवश्यक होगा।

22–अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति–

अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार की जायेगी। इस अकादमी का प्रशासनिक नियन्त्रण भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन होगा।

23–सामान्य–

(क) उत्तराखण्ड के राज्यपाल, समय–समय पर, संस्थान को ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य सुरक्षा निहित हो अथवा जो पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्यों के प्रयोग और सम्पादन के संबंध में निर्देश दे सकते हैं तथा वे ऐसे अन्य निर्देश भी दे सकते हैं, जिन्हें वे संस्थान के कार्य संचालन और वित्तीय मामलों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निर्देश/निर्देशों को परिवर्तित तथा विघटित कर सकते हैं। संस्थान इस प्रकार जारी किये गये निर्देश/निर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करेगा।

(ख) राज्यपाल संस्थान की सम्पत्ति और उसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण, लेखा तथा अन्य सूचना की मांग कर सकते हैं, जिनकी उन्हें समय–समय पर आवश्यकता हो।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट/269–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 मई, 2010 ई0 (बैशाख 11, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 29, 2010

No. 257/UHC/Admin.A/2010--Sri Rakesh Kumar Singh, 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, is posted as Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, Distt. Udhamsingh Nagar, in the vacant Court.

March 29, 2010

No. 258/UHC/Admin.A/2010--Sri Bhavdeep Ravate, Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, Distt. Pauri Garhwal is transferred and posted as 2nd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

March 29, 2010

No. 259/UHC/Admin.A/2010--Sri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, Distt. Almora is transferred and posted as 3rd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

March 29, 2010

No. 260/UHC/Admin.A/2010--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, Distt. Pithoragarh is transferred and posted as 4th Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, in the vacant Court.

March 29, 2010

No. 261/UHC/Admin.A/2010--Sri Anirudh Bhatt, Civil Judge (Jr. Div.), Lansdowne, Distt. Pauri Garhwal will also be the Civil Judge (Jr. Div.), Dhumakot, Distt. Pauri Garhwal in addition to his duties with the directions to hold Camp Court at Dhumakot, Distt. Pauri Garhwal, for two days in a month.

March 29, 2010

No. 262/UHC/Admin.A/2010--Sri Manish Kumar Pandey, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, Distt. Pithoragarh will also be the Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, Distt. Pithoragarh in addition to his duties with the directions to hold Camp Court at Gangolihat, Distt. Pithoragarh, for a week in a month.

March 29, 2010

No. 263/UHC/Admin.A/2010--Sri Vivek Dwivedi, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, Distt. Almora will also be the Civil Judge (Jr. Div.), Dwarahat, Distt. Almora in addition to his duties with the directions to hold Camp Court at Dwarahat, Distt. Almora, for a week in a month.

By Order of the Court,
Sd/-
RAVINDRA MAITHANI,
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 18 हिन्दी गजट / 269–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।